

क्रमांक एफ.7 (4)विविध / अकाद / आकाशि / 2019 / 135

दिनांक :- 30 सितम्बर 2021

प्राचार्य,
समस्त राजकीय / निजी महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषय: विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम -2022 के नव मतदाता पंजीयन हेतु कॉलेज में अध्ययनरत दिनांक 01.01.2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को प्रेरित करने बाबत ।

संदर्भ:-अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर का पत्रांक एफ 4 (3) (3) स्वीप / निर्वा / एस.एस.आर-2022 / 4609 दिनांक 24.9.2021

महोदय,

राज्य के मतदाताओं का निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अपना अमूल्य सहयोग देना, उनका कर्तव्य एवं दायित्व है । देश के नागरिकों के लिये, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, मतदाता पहचान पत्र आवश्यक दस्तावेजों में से एक है ।

आपको निर्देशित किया जाता है कि इस कार्य को अत्यधिक प्रभावी एवं निर्बाध रूप से गतिशील बनाये रखने के लिये, आप अपने महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी जिनकी जन्म तिथि दिनांक 02.01.2003 से 01.01.2004 के बीच आती है, उन्हें मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिये प्रेरित किया जाना सुनिश्चित करें ।

निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिये ऑनलाईन पोर्टल प्रारम्भ किया हुआ है । सभी व्यस्क विद्यार्थी इस दस्तावेज को बनवाने हेतु ऑनलाईन www.nvsp.in पर आवेदन भी कर सकते हैं ।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें ।

(संदेश नायक IAS)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, जयपुर ।

क्रमांक एफ.7 (4)विविध / अकाद / आकाशि / 2019 / 135

दिनांक :- 30 सितम्बर 2021

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राज0, जयपुर ।
2. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर ।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर ।
4. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु प्रेषित है ।

(डॉ० सौमित्र नाथ झा)

संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

कॉलेज शिक्षा, जयपुर ।